सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं.: **NCST/SER-3382/MSTL/1/2026-RU-II**

दिनांक: **22.07.2026**

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल),
इस्पात भवन, लोदी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स,
प्रगति विहार, नई दिल्ली-110033,
ई-मेल: chairman.sail@sail.in

निदेशक प्रभारी,
बोकारो स्टील प्लांट,
इस्पात भवन, बोकारो स्टील सिटी,
बोकारो, झारखंड 827001
ई-मेल: bsl.director@sail.in

विषय: SAIL में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने, पदोन्नति में आरक्षण लागू न होने, कल्याणकारी उपायों की कमी तथा SAIL ST Employees Federation को मान्यता प्रदान करने के संबंध में श्री विल्सन कोंगारी, अध्यक्ष, SAIL ST Employees Federation, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो-827012, झारखंड का दिनांक 08.04.2026 का अभ्यावेदन।

महोदय/महोदया,

कृपया उपरोक्त विषय पर **दिनांक 17.06.2026 को** आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आहूत सिटिंग का सन्दर्भ ग्रहण करें। उक्त सिटिंग का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्न: यथोपरि.

भवदीय

पूर्णेन्दु कान्त

(पूर्णेन्दु कान्त/Purnendu Kant)
निदेशक/Director

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

श्री विल्सन कोंगारी,
अध्यक्ष, SAIL ST Employees Federation,
बोकारो स्टील सिटी,
बोकारो-827012, झारखंड

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

पत्रावली संख्या - **NCST/SER-3382/MSTL/1/2026-RU-II**

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) में कार्यरत अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को उचित प्रतिनिधित्व, संगठनात्मक मान्यता एवं संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के संबंध में श्री विल्सन कोंगारी, अध्यक्ष, SAIL Scheduled Tribe Employees Federation (Central Committee) के अभ्यावेदन पर दिनांक 17.06.2026 को आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न सिटिंग/सुनवाई का कार्यवृत्त।

सिटिंग/सुनवाई की दिनांक : 17.06.2026

सिटिंग/सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार।

2. श्री विल्सन कोंगारी, अध्यक्ष, SAIL Scheduled Tribe Employees Federation (Central Committee) द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन के माध्यम से यह अवगत कराया गया कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) की विभिन्न इकाइयों में कार्यरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को संगठनात्मक एवं प्रशासनिक स्तर पर उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है तथा उनके संवैधानिक अधिकारों एवं कल्याणकारी उपायों की उपेक्षा की जा रही है। अभ्यावेदन में उल्लेख किया गया कि SAIL SC/ST Employees Federation वर्ष 2005 से कार्यरत है, परन्तु उसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों को प्रमुख पदों एवं निर्णय प्रक्रिया में पर्याप्त भागीदारी नहीं दी गई है, जिससे अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के साथ भेदभाव एवं पक्षपात होने की आशंका व्यक्त की गई है।

3. अभ्यावेदन में यह भी आरोप लगाया गया कि SAIL में कार्यरत अनुसूचित जनजाति अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदोन्नति में आरक्षण प्रतिशत का समुचित अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा ग्रेडिंग में कम अंक प्रदान कर उनकी पदोन्नति की संभावनाओं को प्रभावित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख किया गया कि SAIL प्रबंधन एवं बोकारो स्टील प्लांट के उच्च संचालन बोर्ड में अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है तथा अनुसूचित जनजाति समुदाय के कर्मचारियों के लिए विशेष भर्ती अभियान, सांस्कृतिक भवन, सामाजिक एवं शैक्षणिक सुविधाओं में रियायत तथा CSR गतिविधियों में सहभागिता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। अभ्यावेदन में SAIL Scheduled Tribe Employees Federation को पृथक रूप से मान्यता प्रदान करने तथा SAIL प्रबंधन एवं उक्त संगठन के मध्य नियमित बैठकें आयोजित करने का भी अनुरोध किया गया।

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 28.04.2026 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL), नई दिल्ली तथा निदेशक प्रभारी, बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो, झारखंड को नोटिस जारी कर तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। तथापि, आयोग को सुनवाई की तिथि तक कोई लिखित प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

5. प्रकरण के संबंध में आयोग द्वारा पूर्व में कोई सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी। अतः प्रकरण में दिनांक 17.06.2026 को प्रथम बार सिटिंग आयोजित की गई।

6. दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग में अभ्यावेदक एवं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) के प्रतिनिधिगण आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान SAIL के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि आयोग के निर्देशों एवं विभिन्न स्तरों पर प्राप्त सुझावों के अनुपालन में SAIL Scheduled Tribe Employees Federation का गठन किया जा चुका है तथा उक्त फेडरेशन को SAIL प्रबंधन द्वारा मान्यता भी प्रदान कर दी गई है। यह भी अवगत कराया गया कि फेडरेशन एवं SAIL प्रबंधन के मध्य समय-समय पर नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं तथा संसदीय समितियों/मंचों के भ्रमण के अवसर पर भी अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श एवं बैठकें आयोजित की जाती हैं।

7. SAIL के प्रतिनिधियों द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों से संबंधित विषयों पर प्रबंधन एवं फेडरेशन के मध्य नियमित संवाद एवं समन्वय की व्यवस्था स्थापित है तथा संगठन को आवश्यक मान्यता एवं सहभागिता प्रदान की जा रही है। अभ्यावेदक द्वारा भी आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के हितों के संरक्षण हेतु उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई।

8. प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के उपरांत माननीय अध्यक्ष महोदय ने अवलोकन किया कि अभ्यावेदन में उठाए गए प्रमुख मुद्दों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा चुकी है। आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि SAIL Scheduled Tribe Employees Federation का गठन कर उसे मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा प्रबंधन एवं फेडरेशन के मध्य नियमित संवाद एवं बैठक की व्यवस्था भी स्थापित है। अतः आयोग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है।

प्रकरण में दोनों पक्षों को सुनने तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन करने के उपरांत माननीय आयोग द्वारा निम्न अनुशंसा की गई –

1. प्रकरण में आयोग स्तर पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। चूंकि SAIL Scheduled Tribe Employees Federation का गठन एवं मान्यता प्रदान की जा चुकी है तथा प्रबंधन

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

एवं फेडरेशन के मध्य नियमित संवाद एवं बैठक की व्यवस्था स्थापित है, अतः उक्त प्रकरण को आयोग में बंद किया जाता है।

(अंतर सिंह आर्य)
अध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अंतर सिंह आर्य/Antar Singh Arya
अध्यक्ष/Chairperson
भारत सरकार/ Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

अनुसंधान एकक-I

****

फाइल. स. NCST/SER-3382/MSTL/1/2026-RU-II

दिनांक: 17.06.2026

विषय: SAIL में अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न दिए जाने, पदोन्नति में आरक्षण लागू न होने, कल्याणकारी उपायों की कमी तथा SAIL ST Employees Federation को मान्यता प्रदान करने के संबंध में श्री विल्सन कोंगारी, अध्यक्ष, SAIL ST Employees Federation, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो-827012, झारखंड का दिनांक 08.04.2026 का अभ्यावेदन के सम्बंध में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में आयोग मुख्यालय के न्यायालय कक्ष में दिनांक 17.06.2026 को आयोजित सिटिंग/सुनवाई की उपस्थिति।

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	श्री अंतर सिंह आर्य	माननीय अध्यक्ष	अध्यक्षता	
2.	श्री पूर्णेंदु कांत	निदेशक		
3.	श्री शिव प्रकाश	वरिष्ठ अन्वेषक		
4.	श्री विवेका नंद शुक्ला	अन्वेषक		

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल),
इस्पात भवन, लोदी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, प्रगति विहार, नई दिल्ली-110033

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	RAJIV PANDEY	ED(HR), SAIL, CO	9477702267	[signature] 17/6/2026
2.	Rajesh Kumar	AGM(HR), SAIL CC	8826754323	[signature] 17/6/2026
3.				

निदेशक प्रभारी,
बोकारो स्टील प्लांट,
इस्पात भवन, बोकारो स्टील सिटी, बोकारो, झारखंड 827001

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.	Rajashree Banerjee	ED (HR), BSL	8895504798	[signature] 17/6/26
2.	Shipra	AGM(HR) & ZO	8988874597	[signature]
3.	BABITA	AGM(HR), SAIL CO	9968605477	Babita

अभ्यावेदक/अभ्यावेदिका

क्र. सं.	नाम	पदनाम	दूरभाष नंबर	हस्ताक्षर
1.				
2.				
3.				